

23/5 पत्रावली पेश। वकील वादी उपर कृचिक्ता।
18 तिलकराज चुब्ब ने प्रतिवादीगण सत्या - 1 वा 2
की तरफ से प.ग. दी। वान्ते वकालतनामा व
अपराध काफिया दिनांक 23/5 को पेश हो।

23/7 आज यह पत्रावली चेम्बी से जिरने के कारण
19 पेयी में ली गई पत्रावली का अचलोकन किया
कृचिक्ता 24 तिलकराज चुब्ब ने वकालतनामा
प्रतिवादी - सं - 1 वा 2 की तरफ से पेश किया
अपराध वान्ते अपराध काफिया दिनांक 26/8/19 को
पेश हो।

26/8 पत्रावली पेश। P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त
19 हो काफिया दिनांक 26/9/19 को पेश हो।

26/9 पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी अनुपस्थित। वकील
19 प्रतिवादी उपस्थित। वादी को बार-बार पुकारे जाने
के बावजूद अनुपस्थित। चूंकि वाद की सुनवाई
के लिए पुकार होने पर केवल प्रतिवादी उपसंजात
हुआ है और वादी उपसंजात नहीं हुआ है, अतः



हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

सि. प्र. सं. के आदेश 9 के नियम 8 के तहत न्यायालय
वाद को खारिज करने का आदेश देता है

Wm
26/11/19